उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक विविध आवेदन सं। 2018 का 109

(Cr.P.C की खंड 482 के तहत)

इरफान

..आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

प्रतिवादी

उपस्थित :- श्री अरविंद कुमार शर्मा, आवेदक के अधिवक्ता।, श्री J.S. विर्क, A.G.A. राज्य के लिए ब्रीफ होल्डर सुश्री ममता जोशी के साथ।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे. (मौखिक)

वर्तमान सी-482 आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके से उसने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लक्सर द्वारा 2017 के आपराधिक संशोधन संख्या. 185, सुबेराम बनाम राज्य और एक अन्य के साथ-साथ दिनांक 30.11.2017 के आक्षेपित आदेश में पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके से गैर-जमानती वारंट और खंड 82 के से उसके विरुद्ध जारी किया गया है।इस प्रकार आवेदक ने निम्नलिखित राहत मांगी हैः

"2011 के आपराधिक शिकायत मामले संख्या 1570 की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, सुबेरम बनाम इरफान, भा.दं.सं. की खंड 420 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 138 के से, पुलिस स्टेशन कोटवाली लक्सर, जिला हरिद्वार A.C.J.M की अदालत में लंबित है। दिनांक 05.3.2008 को संज्ञान के आक्षेपित समन आदेश और विद्वान A.D.J द्वारा पारित 26.10.2017 के आदेश के साथ। 2017 के आपराधिक संशोधन संख्या. 185, सुबेराम बनाम राज्य और दिनांक 30.11.2017 का एक अन्य और आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा N.B.W. और 82 Cr.P.C., विद्वान A.C.J.M द्वारा जारी किया विद्वान है। लक्सार "।

2. पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए संक्षिप्त तथ्य यह थे कि प्रतिवादी द्वारा वर्तमान आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की खंड 138 के से कार्यवाही इस आधार पर की गई थी कि चेक नं.046575 दिनांक 28.7.2007 को प्रतिवादी के पक्ष में Rs.7,90,000/- की राशि के लिए जारी किया गया था, जिसे उसने इंडियन ओवरसीज बैंक में अपने खाते में नकद करने के लिए प्रस्तुत किया था, जिसे बैंक ने 08.8.2007 की अपनी रिपोर्ट के अनुसार इस टिप्पणी के साथ बाउंस कर दिया था कि आवेदक के खाते में "उपलब्ध धनराशि" अपर्याप्त थी।प्रतिवादी शिकायत 05.11.2007 को अपने वकील के माध्यम खंड कानूनी नोटिस देने के पश्चात प्रतिवादी द्वारा 14.2.2008 को एक मामला दर्ज किया गया था, जिखंड 2011 का मामला संख्या 1570, सुबेराम बनाम इरफान, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के से दर्ज किया गया था, जो लंबित था।न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 05.3.2008 को समन आदेश जारी किया था, प्रतिवादी द्वारा समन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था।

3. बीमारी और आयु के कारण जो प्रतिवादी का सामना कर रहा था, उसने 13.11.2016 के लिए निर्धारित कार्यवाही में भाग लेने से छूट मांगी, उसने एक आवेदन दायर किया जिसे अनुमति दी गई थी और अदालत ने आवेदन पर विचार करने के लिए 11.1.2017 निर्धारित किया था, जिसके बाद तिथि 06.2.2017 को निर्धारित की गई थी।लेकिन प्रतिवादी निश्चित तिथि i.e पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। 06.2.2017.प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कई कदम उठाने के बावजूद आवेदक उपस्थित नहीं हुआ और कार्यवाही में भाग नहीं लिया।स्थगन आवेदन वापस लेने के पश्चात भी पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आवेदक ने मामले पर बहस नहीं की, जो आवेदक के परिश्रम और आचरण के बारे में बहुत कुछ बताता है।

4. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी मामले के अनुसार और जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालय के अभिलेखों से भी पता चला है कि न्यायालय ने समन आदेश जारी किया था जिसमें आवेदक को शिकायत मामला सं. 2011 का 1570, और कार्यवाही में भाग लिया, लेकिन उन्होंने उपस्थिति से परहेज किया था।ऐसा इसलिए हुआ कि 06.2.2017 को प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो सका, उक्त शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 उप-खंड (4) के गैर-अनुपालन के कारण खारिज कर दिया गया था और यह कहा गया था कि प्रतिवादी गैर-जमानती वारंट जारी करने और खंड 82 के से कदम उठाने में विफल रहा था।यह वह आदेश था जिसे प्रतिवादी द्वारा आपराधिक संशोधन सं.185, सुबेरम बनाम राज्य और अन्य, सत्र न्यायाधीश, लक्सार के समक्ष, जिसे दिनांक 26.10.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुज्ञात किया गया है।नतीजतन, A.C.J.M के समक्ष मामला। लक्सर, को पुनर्जीवित किया गया है और दिनांक 30.11.2017 का आदेश जारी किया गया है जिसके तहत गैर-जमानती वारंट और Cr.P.C. की खंड 82 आवेदक के विरुद्ध तैयार की गई है।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 की उपखंड (4) के अनुसार, इसका निहितार्थ उस मत पर निर्भर है जो प्रभावों का संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार की जानी है और यह कि क्या Cr.P.C की खंड 204 (4) के से कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार और शर्तें हैं। उपलब्ध हैं।जब मजिस्ट्रेट इस संतोष को अभिलिखित करता है कि सम्मन देना या वारंट जारी किए जाने के पश्चात मात्र तभी मामला हो सकता है जब प्रक्रिया शुल्क या अन्य शुल्क जो देय हों और आवेदक प्रक्रिया शुल्क जमा करने या उसके कदम उठाने में विफल रहा हो और प्रक्रिया शुल्क का भुगतान उचित समय के भीतर नहीं किया गया हो।

उस स्थिति में, यदि राशि उचित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 (4) के तहत यहाँ उद्धृत किया गया हैः

2.

-

4. जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा कोई प्रक्रिया शुल्क या अन्य शुल्क देय होता है, तो शुल्क का भुगतान किए जाने तक कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी और यदि ऐसी शुल्क का उचित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है।

6. तत्काल मामले में, स्पष्ट रूप खंड शिकायत मामले को खारिज करने का आदेश दिनांक 06.2.2017 को प्रतिवादी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 की उप-धारा (4) के गैर-अनुपालन के कारण पारित किया गया है, उस स्तर पर जब गैर-जमानती वारंट और Cr.P.C. की धारा 82 के से, पहले ही जारी किया जा चुका था।

7. यह अनुपात निर्धारित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि जब न्यायालय पहले ही एक गैर-जमानती वारंट और खंड 82 जारी कर चुका है, तो उस स्थिति में, एक आवेदक की अनुपस्थिति में में दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 उप-खंड (4) के से कार्यवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।

आनंद वादिवेलु बनाम कन्नप्पन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, 2014 में रिपोर्ट किया गया ALLMR (CRI) 30, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 की कार्यवाही खंड उत्पन्न एक समान स्थिति खंड निपटने के लिए, जिसमें कार्यवाही को Cr.P.C की धारा 204 की उप-धारा (4) का आह्वान करते हुए खारिज कर दिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने पैरा 7 में केरल उच्च न्यायालय के 2007 Crl.L.J., 1143, टॉम थॉमस बनाम अब्दुल लतीफ ई. और अन्य में दिए गए निर्णय को केरल उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पैरा 6 का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 (4) से गैर-जमानती अवलम्ब और धारा 82 जारी किया गया है तो यह लागू नहीं होगा और उस स्तर पर शिकायत का मामला खारिज नहीं किया जा सकता है।

8. भूपेंद्र सिंह बनाम साकेत कुमार ने 2016 (1) एम. पी. एल. जे. 209 में अपनी रिपोर्ट में 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या.289 में पारित एक निर्णय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए तर्क के अनुसार, अपने पैरा 10 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में और जब शिकायतकर्ता को चेतावनी नहीं दी जाती है और न ही कोई आकस्मिक आदेश पारित किया जाता है, तो उसकी शिकायत को गुण-दोष पर निर्णय किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है।उक्त निर्णय का पैरा 10 यहाँ उद्धृत किया गया हैः

10. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता को न तो चेतावनी दी गई थी और न ही कोई आकस्मिक आदेश पारित किया गया था।प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर शिकायतकर्ता को असुविधा होगी और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिए बिना मामले को खारिज कर दिया जाएगा।

9. इसके पीछे तर्क यह है कि आपराधिक न्यायशास्त्र के से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में समन आदेश जारी करना शामिल है, जब समन आदेश जारी होने के बावजूद अभियुक्त उपस्थिति से बचता है।

न्यायालय जमानतीय वारंट जारी करने की शक्तियों का प्रयोग करता है और अंततः उसके बाद जब अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है, तो गैर-जमानतीय वारंट जारी किए जाते हैं।निस्संदेह, गैर-जमानती वारंट जारी करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है और संविधान के से किसी व्यक्ति को दिए गए कुछ बहुमूल्य मूल अधिकार से वंचित किया जाता है।उस स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय द्वारा ए. आई. आर. 2008 एस. सी. सी. 251, इंदर मोहन गोस्वामी और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं; कि गैर-जमानती वारंट जारी करते समय, न्यायाधीशालय को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन

जब कभी-कभी न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है, तो एक निश्चित अवधि के लिए स्वतंत्रता में कटौती मात्र गैर-जमानती वारंट जारी करके की जा सकती है।पैरा 52 और 53 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

52. किसी व्यक्ति को अदालत में लाने के लिए गैर-जमानतीय वारंट जारी किया जाना चाहिए जब जमानतीय वारंट के सम्मन देना का वांछित परिणाम होने की संभावना नहीं होगी।यह न्यायालय तब होगा जबः

यह विश्वास करना उचित है कि व्यक्ति स्वेच्छा से अदालत में उपस्थित नहीं होगा; या पुलिस अधिकारी समन के साथ उसे सेवा देने वाले व्यक्ति को खोजने में असमर्थ हैं; या यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति को तुरंत हिरासत में नहीं रखा जाता है तो वह व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है।

53. जहाँ तक संभव हो, यदि अदालत की मत है कि अदालत में आरोपी की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए समन पर्याप्त होगा, तो समन या जमानतीय वारंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।वारंट जारी करने पर होने वाले अत्यंत गम्भीर परिणामों और प्रभावों के कारण, तथ्यों की उचित जांच और विवेक के पूर्ण अनुप्रयोग के बिना जमानतीय या गैर-जमानतीय वारंट कभी भी जारी नहीं किए जाने चाहिए।

अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज नहीं की गई है।

10. अदालत को गैर-जमानतीय वारंट जारी करने के प्रयोजनों के लिए तत्काल मामले में जिस चरण का सामना करना पड़ा, वह मात्र तभी है जब शिकायतकर्ता द्वारा समन आदेश जारी करने और जमानतीय वारंट जारी करने के लिए पारित किए जा रहे आदेशों पर प्रक्रिया शुल्क पहले ही प्रदान कर दिया गया हो।मात्र इसलिए कि गैर-जमानतीय वारंट जारी करने के स्तर पर कदम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 की उप-धारा (4) के से निहित प्रावधानों के आलोक में नहीं उठाए गए हैं, कम खंड कम यह अनुमान लगाया जा सकता है और ध्यान में रखा जा सकता है कि सम्मन देना की तामील के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके थे, जब सम्मन देना जारी किए गए थे या उस स्तर पर जब जमानतीय वारंट जारी किए गए थे।इसलिए, न्यायालयों ने उचित रूप खंड अभिनिर्धारित किया है कि उस स्तर पर जब गैर-जमानती वारंट और धारा 82 को लागू किया जा रहा है और प्रक्रिया शुल्क की आपूर्ति नहीं की गई है, तो शिकायत को Cr.P.C. की धारा 204 की उप-धारा 4 के से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उस स्तर पर लागू नहीं होगा।

11. मद्रास उच्च न्यायालय के साथ-साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों द्वारा कानून के से यह तय किया गया है कि ऐखंड मामलों में जहां गैर-जमानती वारंट और Cr.P.C. की धारा 82 के से, जारी किया गया है और गैर-जमानती वारंट के लिए कदम उठाए गए हैं और धारा 82 के से नहीं लिया गया है, आसोधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 204 (4) के से मामला खारिज नहीं किया जा सकता है।

चूंकि धारा 204 (4) के से दोषमुक्ति के आदेश को बरी नहीं माना जा सकता है जैसा कि केरल उच्च न्यायालय ने भी खंडंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य, 2016 (1) डीसीआर 490 में कहा था।

12. विद्वत पुनरीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय यह निष्कर्ष अभिलिखित विद्वान है कि प्रतिवादी, जो कार्यवाहियों का शिकायतकर्ता था, पूरी लगन खंड और निरंतरता खंड कार्यवाहियों में भाग ले रहा है, लेकिन 06.2.2017 को वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए और धारा 82 के से कदम उठाने में असमर्थ था।नतीजतन, A.C.J.M. आयोग ने

दिनांक 06.2.2017 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 उप-खंड 4 को लागू करके शिकायत मामले को खारिज कर दिया है। पुनरीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि A.C.J.M के समक्ष प्रतिवादी की अनुपस्थिति में। लक्सर मात्र एक दिन यानी i.e के लिए था। 06.2.2017 को और यह निष्कर्ष अग्रेतर दर्ज किया गया है कि कार्यवाही की शुरुआत के बाद से, आवेदक ने यहां A.C.J.M. के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। और इसके अलावा पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष भी।अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने संशोधन का विरोध करते हुए अपना तर्क नहीं दिया था।

13. पुनरीक्षण की अनुमति देते हुए पुनरीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि यदि कोई शिकायतकर्ता जमानतीय वारंट जारी करने के लिए कदम उठाने में विफल रहता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 (4) के से कार्यवाही को लागू करके अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जमानतीय वारंट और खंड 82 जारी करने के स्तर पर लागू नहीं होगा।तदनुसार, संशोधन की अनुमति दी गई थी।

14. इस न्यायालय के समक्ष लाए गए संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन पर, मुझे दिनांक 26.10.2017 के आक्षेपित आदेश और उसमें की गई परिणामी कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।अतः सी-482 आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

15.

सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है

का।

16.

आदेश की कोई लागत नहीं ।

(शरद कुमार शर्मा, जे।) अवकाश न्यायाधीश 30.1.2018